



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062025-263983
CG-DL-E-19062025-263983

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2025/ज्येष्ठ 29, 1947

No. 355]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2025/JYAISTHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2025

सं. 15/2025-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 398(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत देश' से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित '80 माइक्रोन तक के एल्युमीनियम फॉयल' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदों 7607 11 10, 7607 11 90, 7607 19 10, 7607 19 91, 7607 19 92, 7607 19 93, 7607 19 94, 7607 19 95, 7607 19 99, 7607 20 10 अथवा 7607 20 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 06/35/2023-डीजीटीआर, जिसे दिनांक 28 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत, अपने अनंतिम निष्कर्षों में विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अनंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 02/2025-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 17 मार्च, 2025 जिसे सा.का.नि. 176(अ), दिनांक 17 मार्च, 2025

के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त विषयगत वस्तुओं पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और, जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/35/2023-डीजीटीआर, दिनांक 20 मार्च, 2025, जिसे दिनांक 20 मार्च, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत देश से भारत को विषयगत वस्तुओं का निर्यात पाटित मूल्य पर किया गया है;
- (ii) इस कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटित मूल्यों पर आयात के कारण सारवान क्षति हुई है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः, अब, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 मार्च, 2025 जिसे सा.का.नि. 176 (अ) के तहत दिनांक 17 मार्च, 2025 को प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे शुल्क तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त शुल्क तालिका के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ मदें	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	धनराशि	मापने की इकाई	मुद्रा (यूएस डॉलर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7607 11 10, 7607 11 90, 7607 19 10, 7607 19 91, 7607 19 92, 7607 19 93, 7607 19 94, 7607 19 95, 7607 19 99, 7607 20 10 या 7607 20 90*	एल्युमीनियम फॉयल 80 माइक्रोन तक	चीन जन. गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	हेनन मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं. लि. हेनन मिंगशेंग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं. लि.	479	मी. टन	यूएसडॉ.
		**निम्नलिखित को छोड़कर						

2.	वही	वही	चीन जन. गण	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	सुनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	642	मी. टन	यूएसडॉ.
					शंघाई सुनहो एल्यूमीनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड			
3.	वही	वही	चीन जन. गण	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	जियांगसू डिंगशेंग न्यू मैटेरियल ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड	550	मी. टन	यूएसडॉ.
					इनर मंगोलिया लियान शेन न्यू एनर्जी मैटेरियल कंपनी लिमिटेड			
					हांगजो फाइव स्टार एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड			
4.	वही	वही	चीन जन. गण	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	***गैर सैम्पल सहकारी उत्पादक	568	मी. टन	यूएसडॉ.
5.	वही	वही	चीन जन. गण	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1,2, 3 एवं 4 के अलावा कोई भी उत्पादक	721	मी. टन	यूएसडॉ.
6.	वही	वही	विषयगत देश के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	कोई भी	721	मी. टन	यूएसडॉ.

*नोट-सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण पीयूसी के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

****निम्नलिखित को छोड़कर:-**

- क. गैर-संधारित्र अनुप्रयोगों के लिए 5.5 माइक्रोन गेज से कम एल्युमिनियम फॉयल;
- ख. 5 माइक्रोन से कम तथा 5 माइक्रोन से अधिक और 5.5 माइक्रोन तक के संधारित्रों के लिए एल्युमिनियम फॉयल। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि संधारित्रों के लिए 99.35% शुद्धता वाली 500 मिमी से कम चौड़ाई वाली 5-माइक्रोन गेज की एल्युमिनियम फॉयल तथा संधारित्रों के लिए 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की एल्युमिनियम फॉयल को पीयूसी के दायरे में शामिल किया गया है;
- ग. इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग तथा चाय की थैलियों के अनुप्रयोग में उपयोग के लिए अल्ट्रा-लाइट गेज परिवर्तित फॉयल - अल्ट्रा लाइट गेज परिवर्तित फॉयल 5.5 माइक्रोन से 7 माइक्रोन की मोटाई वाली एल्युमिनियम फॉयल है, जिसे इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग तथा चाय की थैलियों के अनुप्रयोग में उपयोग के लिए क्राफ्ट पेपर तथा स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ, चाहे सादा हो या मुद्रित, से समर्थित किया जाता है,
- घ. इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए नक्काशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फॉयल - नक्काशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फॉयल, एल्युमीनियम फॉयल है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के निर्माण में किया जाता है
- ङ. मुखौटा क्लैडिंग और साइनेज अनुप्रयोगों के लिए एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल - एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल एक गैर-एल्युमीनियम कोर (अक्सर पीई) होता है जो एल्युमीनियम की दो पतली परतों के बीच बंधा होता है। जिसका उपयोग मुखौटा क्लैडिंग और साइनेज में किया जाता है।
- च. संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉयल के साथ क्लैड - संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉयल के साथ क्लैड एक संक्षारण प्रतिरोधी एल्युमीनियम शीट है जो ऑटोमोटिव उद्योग और औद्योगिक अनुप्रयोगों में इंजन कूलिंग और एयर कंडीशनर सिस्टम में उपयोग के लिए उच्च-शक्ति एल्युमीनियम मिश्र धातु कोर सामग्री से धातुकर्म रूप से बंधे एल्युमीनियम सतह परतों से बनाई जाती है; जैसे रेडिएटर, कंडेनसर, इवैपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।
- छ. बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉयल - 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फॉयल जिसकी सतह खुरदरी हो और चाहे वह मुद्रित हो या नहीं, छिद्रित हो; बीयर की बोतल में इस्तेमाल किया जाना है।
- ज. एल्युमीनियम-मैंगनीज - सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमीनियम-मैंगनीज सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु। चाहे क्लैड हो या अनक्लैड पोस्ट ब्रेजिंग यील्ड स्ट्रेंथ 35 एमपीए से अधिक, टैरिफ हेडिंग 7607 और 7606 के अंतर्गत आते हैं, रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेनसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवैपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम और उसके भागों सहित हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग के लिए।
- झ. चिपकने वाला टेप
- ञ. रंग लेपित एल्युमीनियम फॉयल - या तो एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग पर ध्यान दिए बिना।
- ट. पॉलीयूरेथेन लेपित एल्युमीनियम फॉयल - या तो एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग पर ध्यान दिए बिना।

***** गैर सैम्पल सहकारी उत्पादकों की सूची :**

- 1) शेडोंग डेली एल्युमीनियम प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
- 2) जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड

- 3) लुआआंग लोंगडिंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड
- 4) जियामेन जियाशुन एल्युमीनियम फॉयल कं लिमिटेड
- 5) जियांग्सु फेंगयुआन एल्युमीनियम मास्टर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- 6) लुओयांग वानजी एल्युमीनियम प्रोसेसिंग कं. लिमिटेड
- 7) कुनशान एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड,

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क, अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की तारीख, अर्थात् 17 मार्च, 2025, से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो), और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 190354/171/2024—टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2025

No. 15/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 398(E).— Whereas, in the matter of “Aluminium foil upto 80 micron” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7607 11 10, 7607 11 90, 7607 19 10, 7607 19 91, 7607 19 92, 7607 19 93, 7607 19 94, 7607 19 95, 7607 19 99, 7607 20 10 or 7607 20 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its preliminary findings *vide* notification No. 06/35/2023-DGTR published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th August, 2024, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2025-Customs (ADD), dated the 17th March, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S. R. 176(E), dated the 17th March, 2025;

And whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 06/35/2023-DGTR dated 20th March, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 20th March, 2025 has come to the conclusion that-

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country at dumped prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2025-Customs (ADD), dated the 17th March, 2025 published *vide* number G.S.R 176(E), dated the 17th March, 2025, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8), of the said Table, namely:-

TABLE

S No.	Tariff items	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit of measurement (MT)	Currency (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7607 11 10, 7607 11 90, 7607 19 10, 7607 19 91, 7607 19 92, 7607 19 93, 7607 19 94, 7607 19 95, 7607 19 99, 7607 20 10 or 7607 20 90*	“Aluminium foil upto 80 microns”	China PR	Any Country including China PR	Henan Mingtai technology development Co. Ltd.	479	MT	USD
		** Excluding the following			Henan Mingsheng New Material Technology Co. Ltd.			
2.	do	do	China PR	Any Country including China PR	Sunho New Materials Technology Co. Ltd.	642	MT	USD
					Shanghai Sunho Aluminum Foil Co. Ltd.			
3.	do	do	China PR	Any Country including China PR	Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. Ltd.	550	MT	USD
					Inner Mongolia Lian Sheng New Energy Material Co., Ltd.			
					Hangzhou Five Star Aluminium Co. Ltd.			
4.	do	do	China PR	Any Country including China PR	***Non-Sampled Cooperative Producers	568	MT	USD

5.	do	do	China PR	Any Country including China PR	Any Producer other than S No. 1,2, 3 & 4	721	MT	USD
6.	do	do	Any Country other than China PR	China PR	Any	721	MT	USD

***Note**-Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC.

****** Excluding the following-

- a. Aluminium foil below 5.5 micron gauge for non-capacitor applications;
- b. Aluminium foil for capacitors below 5 microns, upwards of 5 micron and up to 5.5 microns. It is however clarified that aluminium foil of 5-micron gauge of width below 500mm having 99.35% purity for capacitors and aluminium foil from 5.5 microns to 80 microns for capacitors is included in the scope of the PUC;
- c. Ultra-Light Gauge converted foil meant for use in insulation, spices packing' thermal fluid lines covering and tea bags application - Ultra Light Gauge converted foil is an aluminium foil having thickness of 5.5 micron to 7 micron which is backed with kraft paper and scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application;
- d. Etched or formed aluminium foils meant for electrolytic capacitor - Etched or formed aluminium foils is aluminium foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor
- e. Aluminium composite panel meant for facade cladding and signage applications – Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in facade cladding and signage.
- f. Clad with compatible non clad aluminium foil - Clad with compatible non clad aluminium foil is a corrosion-resistant aluminium sheet formed from aluminium surface layers metallurgically bonded to high-strength aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry and industrial applications; such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.
- g. Aluminium foil for beer bottle - aluminium foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.
- h. Aluminium- manganese- silicon based and/ or clad aluminium- manganese silicon-based alloys, whether clad or unclad- with post brazing yield strength greater than 35 MPA, falling under tariff heading 7607 and 7606, for use in heat exchangers including radiators, charge air coolers, condensers, oil coolers, heater cores, evaporators, heat ventilation and air conditioning (HVAC) systems and parts thereof.
- i. Adhesive tapes
- j. Colour coated aluminium foil-either one side or both sides, irrespective of colour, shape or coating.
- k. Polyurethane coated aluminium foil- either one side or both sides, irrespective of colour, shape, or coating.

******* List of Non-Sampled Cooperative Producers: -

- 1) Shandong Deli Aluminium Technology Co. Ltd
- 2) Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

- 3) Luoyang Longding Aluminium Industries Co. Ltd.
- 4) Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co. Ltd.
- 5) Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Technology Co., Ltd.
- 6) Luoyang Wanji Aluminium Processing Co. Ltd.
- 7) Kunshan Aluminium Co. Ltd.,

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 17th March, 2025 and shall be payable in Indian currency.

Explanation - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of the anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act, 1962.

[F. No. 190354/171/2024 – TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.